GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EDUCATION DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

LOK SABHA STARRED QUESTION No- 55 ANSWERED ON- 06.02.2023

BONUS TO NON-GAZETTED OFFICERS OF AUTONOMOUS INSTITUTIONS/ORGANIZATIONS

† *55. SHRI TIRATH SINGH RAWAT:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) whether the Government is not giving bonus to non-gazetted officers of some autonomous organisations/institutions like Central Sanskrit University, Shri Lal Bahadur National Sanskrit University, National Sanskriti University, Tirupati and other Central Universities since 2015-16;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the Diwali bonus is not being distributed to the said non-gazetted officers of autonomous organizations/institutions due to financial implications;
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (e) whether the non-gazetted officers are likely to be paid interest on arrears of Diwali bonus from 2015-16; and
- (f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (f) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 55 FOR 06.02.2023 ASKED BY SHRI TIRATH SINGH RAWAT, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING BONUS TO NON-GAZETTED OFFICERS OF AUTONOMOUS INSTITUTIONS/ORGANIZATIONS

(a) to (f) A policy decision has been taken by Government of India for not extending the adhoc bonus to the employees of autonomous bodies, partly or fully funded by the Central Government for the accounting year 2015-16 and onwards. Accordingly, the Bonuses to Non-gazetted officers of Central Sanskrit University, Shri Lal Bahadur National Sanskrit University, National Sanskrit University, Tirupati and other Central Universities have not been granted since 2015-16.

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या-55 उत्तर देने की तारीख-06/02/2023

स्वायत्त संस्थाओं/संगठनों के अराजपत्रित अधिकारियों को बोनस

*55. श्री तीरथ सिंह रावत:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे कुछ स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं के अराजपत्रित अधिकारियों को 2015-16 से बोनस नहीं दे रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वित्तीय कारणों से स्वायत संगठनों/संस्थाओं के उक्त अराजपत्रित अधिकारियों को दीवाली बोनस का वितरण नहीं किया जा रहा है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या दीवाली बोनस की बकाया राशि पर अराजपत्रित अधिकारियों को 2015-16 से ब्याज का भुगतान किए जाने की संभावना है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा स्वायत्त संस्थाओं/संगठनों के अराजपत्रित अधिकारियों को बोनस के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 55 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च) केंद्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत निकायों के कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2015-16 और उसके बाद तदर्थ बोनस नहीं देने के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। तदनुसार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अराजपत्रित अधिकारियों को 2015-16 से बोनस प्रदान नहीं किया गया है।